

बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना - 800001

56वीं, 57वीं, 58वीं एवम् 59वीं सम्मिलित संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2113, दिनांक 13.02.2014 द्वारा 56वीं से 59वीं तक के सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने की संसूचित सहमति के क्रम में सरकार क विभिन्न सेवाओं/संवर्गों से प्राप्त रिक्तियों के आलोक में, सुयोग्य भारतीय नागरिकों से आयोग द्वारा निर्धारित ओ.एम.आर. आवेदन पत्र, जो मुख्य डाकघर, पटना सहित बिहार राज्य के सभी जिला मुख्यालय स्थित प्रधान डाकघरों एवं अन्य डाकघरों; कुल 52 डाकघरों से दिनांक 02.09.2014 से 15.10.2014 तक विक्रय किया जाएगा, में आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। सरकार के विभिन्न सेवाओं/संवर्गों से प्राप्त रिक्तियों की विवरणी निम्नलिखित (सारणी - 01) है।

सारणी - 01

क्र.सं.	पद का नाम	आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ						कुल पद	न्यूनतम उम्र	अधिकतम उम्र
		GEN (01)	SC (02)	ST (03)	EBC (04)	BC (05)	BCL (06)			
1.	बिहार प्रशासनिक सेवा (उप समाहता)	50	16	01	18	12	03	100	22 वर्ष	अनारक्षित (पुरुष) - 37 वर्ष, अनारक्षित (महिला), पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) - 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) - 42 वर्ष
2.	बिहार पुलिस सेवा (पुलिस उपाधीक्षक)	71	19	02	17	10	02	121	20 वर्ष	
3.	पुलिस उपाधीक्षक (निगरानी विभाग)	06	02	--	02	01	--	11	20 वर्ष	
4.	बिहार वित्त सेवा (वाणिज्यकर पदाधिकारी)	45	15	01	17	10	02	90	22 वर्ष	
5.	जिला समादेष्टा (गृह रक्षा वाहिनी संगठन)	02	--	01	--	01	--	04	20 वर्ष	
6.	उत्पाद निरीक्षक	07	03	01	01	--	--	12	20 वर्ष	
7.	सहायक योजना पदाधिकारी/सहायक निदेशक	34	10	03	13	08	03	71	21 वर्ष	
8.	बिहार प्रोबेशन सेवा (प्रोबेशन पदाधिकारी)	11	--	--	02	02	01	16	21 वर्ष	
9.	ग्रामीण विकास पदाधिकारी	12	01	--	04	03	02	22	21 वर्ष	
10.	नगर कार्यपालक पदाधिकारी	55	17	01	19	13	03	108	21 वर्ष	
11.	बिहार शिक्षा सेवा	25	15	01	21	16	04	82	22 वर्ष	
12.	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी	02	01	--	--	--	--	03	22 वर्ष	
13.	नियोजन पदाधिकारी/जिला नियोजन पदाधिकारी	05	01	--	02	01	--	09	22 वर्ष	
14.	बिहार निबन्धन सेवा (अवर निबंधक)	11	03	01	04	--	--	19	22 वर्ष	
15.	बिहार कारा सेवा (काराधीक्षक)	09	03	--	02	02	01	17	22 वर्ष	
16.	बिहार श्रम सेवा (श्रम अधीक्षक)	07	01	--	--	01	--	09	22 वर्ष	
17.	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा	09	04	--	02	01	01	17	22 वर्ष	
18.	ईख पदाधिकारी	01	01	--	--	--	--	02	22 वर्ष	
19.	सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई	03	01	--	--	01	--	05	22 वर्ष	
20.	बिहार निर्वाचन सेवा (अवर निर्वाचन पदाधिकारी)	12	03	--	04	02	01	22	22 वर्ष	
21.	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ	01	01	--	--	01	--	03	22 वर्ष	
22.	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ	03	--	--	--	--	--	03	22 वर्ष	
कुल:		381	117	12	128	85	23	746		

दिनांक 15.10.2014 को अपराह्न 5.00 बजे तक भरे हुए ओ.एम.आर. आवेदन पत्र का लिफाफा डाकघर, जिससे ओ.एम.आर. आवेदन पत्र क्रय किया गया है, में ही जमा किया जायेगा। सम्बन्धित डाकघरों की सूची, जिनसे ओ.एम.आर. आवेदन पत्र विक्रय किया जाएगा, की विवरणी निम्नलिखित (सारणी - 02) है।

सारणी - 02

- | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1. पटना जी.पी.ओ. | 14. शेरघाटी एस.ओ. | 27. सीवान एच.ओ. | 40. मधेपुरा एम.डी.जी. |
| 2. बांकीपुर एच.ओ. | 15. आरा एच.ओ. | 28. गोपालगंज एच.ओ. | 41. सुपौल एम.डी.जी. |
| 3. पटना यूनिवर्सिटी एस.ओ. | 16. बक्सर एच.ओ. | 29. बेतिया एच.ओ. | 42. भागलपुर एच.ओ. |
| 4. पटना सिटी एस.ओ. | 17. सासाराम एच.ओ. | 30. मोतिहारी एच.ओ. | 43. कहलगाँव एस.ओ. |
| 5. एल.बी.एस. नगर एस.ओ. | 18. डेहरी-ऑन-सोन एस.ओ. | 31. दरभंगा एच.ओ. | 44. नवगछिया एस.ओ. |
| 6. दानापुर कैंट एस.ओ. | 19. भभुआ एम.डी.जी. | 32. लहेरियासराय एच.ओ. | 45. टी.एन.बी. कॉलेज एस.ओ. |
| 7. बिहारशरीफ एच.ओ. | 20. मुजफ्फरपुर एच.ओ. | 33. मधुबनी एच.ओ. | 46. बांका एच.ओ. |
| 8. गया एच.ओ. | 21. बिहार यूनिवर्सिटी एस.ओ. | 34. समस्तीपुर एच.ओ. | 47. मुंगेर एच.ओ. |
| 9. मगध यूनिवर्सिटी एस.ओ. | 22. हाजीपुर एच.ओ. | 35. पूर्णिया एच.ओ. | 48. जमुई एच.ओ. |
| 10. जहानाबाद एच.ओ. | 23. सीतामढ़ी एच.ओ. | 36. कटिहार एच.ओ. | 49. शेखपुरा एस.ओ. |
| 11. अरवल एम.डी.जी. | 24. शिवहर एम.डी.जी. | 37. किशनगंज एम.डी.जी. | 50. लखीसराय एम.डी.जी. |
| 12. नवादा एच.ओ. | 25. छपरा एच.ओ. | 38. अररिया एम.डी.जी. | 51. बेगूसराय एच.ओ. |
| 13. औरंगाबाद एच.ओ. | 26. मधौरा एच.ओ. | 39. सहरसा एच.ओ. | 52. खगड़िया एस.ओ. |
2. डाकघर से विक्रय किए जाने वाले ओ.एम.आर. आवेदन प्रपत्र का मूल्य केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए ₹ 175/- (एक सौ पचहत्तर रुपये मात्र) एवं बिहार राज्य समेत सभी राज्यों के अन्य उम्मीदवारों के लिए ₹ 400/- (चार सौ रुपये मात्र) है।
- 2.1 ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में उल्लिखित महत्वपूर्ण निर्देशों तथा ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध सूचना पुस्तिका को सावधानीपूर्वक पढ़ कर ही आवेदन भरें। ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में काट-कूट/पुनलेखन न करें।
- 2.2 भरे हुए ओ.एम.आर. आवेदन पत्र को निदेशानुसार प्राक्धानित लिफाफा में रखें।
- 2.3 उक्त प्राक्धानित लिफाफा के ऊपर दाहिने कोने पर उम्मीदवार ओ.एम.आर. आवेदन पत्र संख्या ब्लू/काले स्थायी के बॉल प्वायंट पेन से अनिवार्यतः अंकित करें, अन्यथा ओ.एम.आर. आवेदन पत्र डाकघर द्वारा स्वीकार नहीं किया जायगा। तदपरान्त उक्त लिफाफा को साट दें। इस लिफाफा को पुनः सम्बन्धित डाकघर में दिनांक 15.10.2014 को अपराह्न 5.00 बजे तक निश्चित रूप से जमा कर पावती रसीद प्राप्त करें। इसके लिए अलग से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अन्तिम तिथि के बाद सम्बन्धित डाकघरों द्वारा ओ.एम.आर. आवेदन पत्र का लिफाफा कतई स्वीकार नहीं किया जायगा।
- 2.4 उम्मीदवार जिस डाकघर से ओ.एम.आर. आवेदन प्रपत्र का क्रय करेंगे उसे भरने के बाद उसी डाकघर में जमा करेंगे। आवेदन जमा करने के समय सम्बन्धित डाकघर द्वारा उम्मीदवार को प्राप्ति रसीद दी जाएगी। उम्मीदवार उस प्राप्ति रसीद को अपने पास रखेंगे और भविष्य में, आयोग से उसके एवं ओ.एम.आर. आवेदन पत्र संख्या के आधार पर पत्राचार कर सकते हैं।
3. 56वीं से 59वीं तक की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाएँ एक साथ, समेकित रूप से, आयोजित की जायेंगी; अतएव एक ही आवेदन पत्र भरा जाएगा, और उम्मीदवार को एक ही अनुक्रमांक आवंटित किया जाएगा।
4. **शैक्षिक योग्यता** : आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक आवेदक को किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण अवश्य होना चाहिए।
5. **आरक्षण** : आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अम्बर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

6. आयु-सीमा: [i] (क) उक्त परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा निम्नरूपेण निर्धारित है:-
- | | | |
|--|---|--|
| 1.8.2010 - 56वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा | } | अनारक्षित (पुरुष) - 37 वर्ष, अनारक्षित (महिला), पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) - 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) - 42 वर्ष। |
| 1.8.2011 - 57वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा | | |
| 1.8.2012 - 58वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा | | |
| 1.8.2013 - 59वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा | | |
- (ख) उक्त परीक्षा में न्यूनतम उम्र सीमा निम्न प्रकार निर्धारित है:-
- | | | |
|--|---|--|
| 1.8.2010 - 56वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा | } | सारणी - 01 में अंकित सेवाओं में क्रम संख्या 1, 4 एवं 11 से 22 तक की सेवाओं के लिए 22 वर्ष, क्रम संख्या 2, 3, 5 एवं 6 की सेवाओं के लिए 20 वर्ष तथा क्रम संख्या 7 से 10 तक की सेवाओं के लिए 21 वर्ष। |
| 1.8.2011 - 57वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा | | |
| 1.8.2012 - 58वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा | | |
| 1.8.2013 - 59वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा | | |
- (ग) (i) 56वीं से 59वीं तक की किसी भी एक परीक्षा में उम्र सीमा के आधार पर अर्हता प्राप्त उम्मीदवार को उक्त सभी परीक्षाओं के लिए अर्हित माना जाएगा।
- (ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 6519 दिनांक 10.09.2003 के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है।
- (iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16.07.2007 के आलोक में, ऐसे सरकारी सेवक जो तीन वर्षों की निरन्तर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/सम्बर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05(पाँच) वर्षों की छूट तथा इस परीक्षा सहित, प्रारम्भिक परीक्षा में भाग लेने का कुल 3 (तीन) अवसर अनुमान्य है।
- (iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 62, दिनांक 05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को यथा संशोधित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त विकलांगता के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।
- (v) जो उम्मीदवार बिहार सरकार की सेवा में हैं तथा सम्पुष्ट हैं, वे उम्र सीमा के अन्दर रहने पर भी बिहार पुलिस सेवा, जिला समादेष्टा (गृह रक्षा वाहिनी संगठन) एवं बिहार कारा सेवा (काराधीक्षक) में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे (इस शर्त को विलोपित करने से सम्बन्धित विषय राज्य सरकार के विचाराधीन है। सरकार द्वारा इस बिन्दु पर लिए जाने वाले निर्णय के आधार पर तदनुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी)।
- (vi) 01 जनवरी, 1963 के बाद एन.सी.सी. में भर्ती किए गए पूर्णकालिक कैंडेट/अनुदेशकों को एन.सी.सी. से विमुक्त हो जाने के बाद राज्य सरकार के अधीन ऊपर कड़िका 1 में उल्लिखित सेवाओं में पदों पर नियुक्ति के लिए अपनी वास्तविक उम्र से उतने दिन घटाने की अनुमति दी जायेगी, जितने दिनों तक उन्होंने एन.सी.सी. में पूर्णकालिक सेवा की हो आर यदि परिणामी उम्र, किसी विशिष्ट सेवा या पद के लिए विहित ऊपरी उम्र सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उनके सम्बन्ध में यह माना जायेगा कि वे उन सेवाओं में या पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र की शर्त पूरी करते हैं।
- (vii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी वशर्त कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।
- (viii) भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई.सी.ओज/एस.एफ.सीओज सहित) श्रेणी के पदाधिकारी भी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिए आवेदन दे सकते हैं। ऐसे पदों पर उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्षों तक आयु शिथिलीकरण का लाभ उन्हीं भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई.सी.ओज/एस.एफ.सीओज सहित) को अनुमान्य होगा जिन्होंने कम से कम 5 वर्षों की लगातार सैनिक सेवा पूरी की हो एवं शत-समाप्ति के बाद सैनिक सेवा से विमुक्त हो गये हों अथवा छ: महीने के भीतर विमुक्त होने वाले हो, बशर्त कि ऐसी विमुक्ति कदाचार, अयोग्यता, शारीरिक अक्षमता अथवा अपंगता के परिणामस्वरूप नहीं हुई हो।
- (ix) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (ई.सी.ओज/एस.एफ.सीओज सहित) जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, उनके लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को राज्य सरकार की सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण का जो लाभ दिया गया है, उसका समावेश विचाराधीन छूट में कर लिया जायेगा। पूर्व में दी गई छूट के अतिरिक्त विचाराधीन छूट अनुमान्य नहीं होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूतपूर्व सैनिक एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई.सी.ओज/एस.एफ.सीओज सहित) की कारा सेवा हेतु ऊपरी उम्र सीमा तीन वर्ष तथा अन्य सेवाओं के लिए पाँच वर्ष अधिक होगी।
- (x) सैन्य सेवा से विमुक्त ऐसे उम्मीदवार, जिन्होंने उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण के लाभ का दावा किया हो, सक्षम पदाधिकारी से सैन्य सेवा से विमुक्त होने का प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
7. शारीरिक क्षमता : बिहार पुलिस सेवा तथा जिला समादेष्टा (गृह रक्षा वाहिनी संगठन) के उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट 5 इंच और न्यूनतम छाती की माप, बिना फुलाये, 32 (बत्तीस) इंच होनी चाहिए। परन्तु, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के प्रसंग में उपर्युक्त शारीरिक माप के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उनकी न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट 3 इंच तथा छाती की माप, बिना फुलाये, 31 (एकतीस) इंच होनी चाहिए। महिलाओं की न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए।
8. रिक्तियाँ : उक्त राज्य सेवा/संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार संपुष्ट कुल रिक्तियों का विवरण सम्मिलित संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षाफल के साथ ही प्रकाशित किया जायगा जो समेकित एवं एकीकृत होगा न कि प्रत्येक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षावार अलग-अलग।
9. मेधा सूची : उपर्युक्त राज्य सेवा/संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार उपर्युक्त सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की समेकित, एकीकृत रिक्तियों को भरने के निमित्त, सम्मिलित संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की विहित, किन्तु समेकित, एकीकृत मेधासूची प्रकाशित की जायेगी; तथा उनकी अन्तर्वीक्षा पश्चात् अन्तिम परीक्षाफल भी समेकित, एकीकृत किन्तु सेवा/संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार मेधाक्रम में ही निर्गत/प्रकाशित किया जायगा।
10. प्रारम्भिक परीक्षा : (i) सम्मिलित, संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा वस्तुनिष्ठ जो 150 अंकों की एकल विषय, सामान्य अध्ययन, में 2 (दो) घंटों की होगी। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा।
(ii) इस प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएँ, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहां की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात् बिहार की अर्थ-व्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवम् सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे।
(iii) इस प्रारम्भिक परीक्षा के अधीन उम्मीदवारों का एक ही परीक्षाफल, अनुवर्ती सम्मिलित संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा के निमित्त घोषित किया जायेगा। इस निमित्त, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार क संकल्प संख्या 2374, दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 01.10.2008 के आलोक में प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त (विकलांग) उम्मीदवारों के लिए 32% अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।
11. उक्त सफल उम्मीदवारों से सम्मिलित, संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अलग से, पुनः, ससमय, आवेदन आमन्त्रित किये जायेंगे। प्रारम्भिक परीक्षा एवम् मुख्य परीक्षा के आवेदनों में दी गयी सूचनाओं में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है।
12. जैसे अभ्यर्थी प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/किसी राज्य लोक सेवा आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक, कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।
13. आवेदक ओ.एम्.आर. आवेदन पत्र के स्तम्भ 1 - आवेदित सत्र के सामने वृत्ताकार गोले में अंकित संख्या 1, 2, 3 एवं 4 में से कोई एक गोले को या सभी गोलों को काली/ब्लू स्याही के बॉल प्वायंट पेन से भरेंगे, यथा; संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 56वीं के लिए 1, 57वीं के लिए 2, 58वीं के लिए 3 एवं 59वीं के लिए 4 एवं उसके ऊपर के आयताकार बॉक्स में भरे गये वृत्ताकार गोले की संख्या को ही लिखेंगे।
14. उम्मीदवार का नाम, पिता/पति का नाम लिखने एवं गोले को काला करने के क्रम में आवेदक अपने नाम के शब्दों के बीच एक बॉक्स को खाली रखेंगे; यथा, ANIL KUMAR RAM को बॉक्स में इस तरह लिखेंगे एवं तदनुसार ही गोलों को काला करेंगे:-
- | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| A | N | I | L | | K | U | M | A | R | | R | A | M |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
15. यह विवरण आयोग के वेबसाइट - <http://bpsc.bih.nic.in> पर उपलब्ध है।